'अप्प दीपो भव'

वॉयस ऑफ बुद्धा

Postal Reg. No.-DL(ND)-11/6144/2013-15
WPP Licence No.- U(C)-101/2013-15
R.N.I. No. 68180/98

प्रकाशन तिथि- 31 जुलाई, 2013

मूल्य : पाँच रूपये

प्रेषक : डॉ0 उदित राज (राम राज) चेयरमैन - जस्टिस पब्लिकेशंस, टी-22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001, फोन : 23354841-42

Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com

● वर्ष : 16 ● अंक 17 ● पाक्षिक ● द्विभाषी ● 16 से 31 जुलाई, 2013

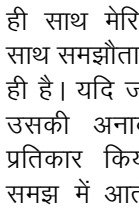

मादक पदार्थों से दूर रहे।

-गौतम बुद्ध

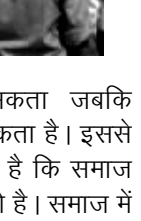

जातीय सामाजिक-धार्मिक संगठन पर प्रतिबंध क्यों नहीं ?

डॉ. उदित राज

11 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि जाति के आधार पर रैलियां नहीं होनी चाहिए। हाल में समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी ने कुछ जातीय रैली जैसे ब्राह्मण सम्मेलन आदि किए। पूर्व में इस तरह की रैलियां होती रही है। जब से जाति के आधार पर खुलकर के राजनैतिक समर्थन जुटाया जाने लगा है तब से इसकी आलोचना शुरू हुई है। सवर्ण बुद्धिजीवियों ने इसे जातिवाद के उभार के रूप में देखा और निंदा भी की। तमाम तरह के तर्क दिए गए कि इससे शासन–प्रशासन पर प्रतिकूल असर तो पड़ेगा ही साथ ही साथ मेरिट के साथ समझौता होना ही है। यदि जाति की उत्पत्ति एवं उसकी अनावरत व्यवस्था का प्रतिकार किया जाता तो बात समझ में आती है कि जाति के आधार पर राजनैतिक रैलियां नहीं होना चाहिए। इस फैसले के पक्ष में कुछ लोग मुखर होकर बोले तो विपक्ष में दबी जबान से इसकी आलोचना की गई कि जब राजनीति में उनकी भागीदारी का समय आया तो हाईकोर्ट ने क्यों अड़ंगा लगाना शुरू किया? जाति आधारित सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक संगठन भी हैं और ये लगभग सभी जातियों में हैं तो अदालत ने इन पर क्यों नहीं रोक लगायी?

सबसे पहले इस फैसलें के पैरोकारों के बारे में चर्चा कर ली जाए कि वे स्वागत क्यों कर रहे हैं जबकि वे जाति व्यवस्था बनाए रखने के पक्ष में हैं। 20 जुलाई को एनडीटीवी पर बहस के लिए अखिल भारतीय जाट महासभा से श्री युद्धवीर सिंह, विश्व ब्राह्मण महासभा से श्री मांगेराम शर्मा, क्षत्रिय महासभा से महेंद्र सिंह तंवर एवं पोतदार समाज से नेता भी आमंत्रित किए गए। सभी ने एक स्वर से जाति आधारित रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का स्वागत किया लेकिन जब उनसे कहा गया कि वे क्यों जाति के आधार पर सामाजिक संगठन चला रहे हैं? क्या वे जाति छोड़ने के लिए तैयार हैं तो सभी ने त्वरित ढंग से कहा कि वे ऐसा क्यों करें?

इसी में अंतर्विरोध उभरा, वह देखते ही बना। दोहरे चरित्र की पराकाष्ठा नहीं तो क्या है कि जहां जाति से लाभ हो उसका तो स्वागत है और हानि की जगह पर विरोध। ऐसे में क्या जाति की भावना के जहर को खत्म किया जा सकता है? क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि तो पूरे लिबास में शामिल होने आए और जाति का विरोध भी कर रहे थे। हिंदू समाज एक ही नहीं तमाम अंतर्विरोधों का एक पुलिंदा है और जिस–जिसको इस व्यवस्था से हानि होती है, विरोध तो करता है लेकिन समाप्त करने के लिए तैयार नहीं होते।

जैसे–जैसे सामाजिक एवं राजनैतिक हालात में बदलाव आए हैं तथाकथित निम्न जातियां शासन–प्रशासन में भागीदारी के लिए हाथ–पांव मारने लगी है। संचार के क्षेत्र में क्रांति आने से शोषित जातियां और तेज हुई है। इस फैसले से इनको लगता है कि सवर्ण मानसिकता की न्यायपालिका ने पक्षपात किया, अगर ऐसा नहीं है तो जाति आधारित सामाजिक एवं धार्मिक रैलियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? चूंकि मीडिया का खुले रूप से हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन है इसलिए जनमत को ध्यान में रखते हुए दलित एवं पिछड़ी जातियों के नेता तो खुलकर तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन इससे वह असुविधा में जरूर हैं। कुछ पिछड़ी जातियों के नेताओं ने फैसले का स्वागत किया है लेकिन वह दिखाने के लिए है। जब उनका खुद का आधार जाति है तो बेहतर है कि ईमानदारी से सच्चाई को स्वीकार करे ना कि ढिठाई से वही काम करें और स्वीकार भी ना करें। प्रतिबंध लगने से प्रतिक्रिया की संभावनाएं ज्यादा है। यह बहुत संभव है कि अब गली–गली और मोहल्ले–मोहल्ले में सवर्णों के खिलाफ और माहौल तैयार करें यह कहते हुए कि जब हमारी सत्ता में भागीदारी की बात आयी तो जातिवाद नजर आने लगा। क्या यह फैसला वोट डालते समय लोगों की जाति भावना रोक सकेगा? चुनावी प्रचार रात–दिन गली–गली और गांव–गांव में होता है तो वहां कौन पहरेदारी करेगा कि कार्यकर्ता और उम्मीदवार जाति भावना का उपयोग ना करें। इस फैसले से जातिवाद बढ़ भी सकता है कम होने की संभावना नहीं है। उसका कारण यह है कि अब लगभग सभी जातियों का रूझान सत्ता में भागीदारी लेने का बन गया। जिन दलों ने इस फैसले का स्वागत किया है क्या वे उम्मीदवार बनाते समय जाति समीकरण का ध्यान नहीं देते हैं? अब लगभग हर पार्टी के पास गांव स्तर तक का जाति का आंकड़ा है और चुनावी रणनीति या प्रचार–प्रसार इसका ध्यान देकर के करते हैं। बहुत संभव है कि जाति की रैली या सम्मेलन हो और उसका उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक या भाईचारा बताया जाए तो यह निर्णय क्या कर सकेगा?

कितना भी राजनैतिक लाभ के लिए जाति को इस्तेमाल किया जाए फिर भी इसकी एक सीमा है। इंसान सामाजिक हुए बिना नहीं रह सकता जबकि अराजनीतिक हो सकता है। इससे बात साफ हो जाती है कि समाज का पलड़ा बहुत भारी है। समाज में यदि जाति का वर्चस्व बना रहे तो और राजनीति के क्षेत्र में चाहे जितना इसे कमतर करने की कोशिश की जाए, इसका असर शासन–प्रशासन और देश पर खास कम नहीं होगा। हजारों वर्ष तक देश गुलाम रहा तो उसका कारण सामाजिक स्तर पर अलगाव और एक दूसरे से नफरत। जिस दिन समाज में जातिवाद समाप्त हो जाएगा, उसका अस्तित्व राजनीति में रहेगा ही नहीं। जाति व्यवस्था की गूढ़ता को इस देश के बुद्धिजीवी समझ नहीं सके। यही कारण रहा है कि उन्होंने समाज को नहीं बदला बल्कि समाज ने प्रभावित करने का

शेष पेज 3 पर...

परिपत्र संख्या : 78 दिनांक : 24/07/2013

प्रिय मित्रों

जब तक हमारे समाज को दिशा नहीं मिली थी और मान–सम्मान व अधिकार के लिए संघर्ष नहीं हुआ था, तब तक गुलाम की भांति रहे हैं। हमारे हालात में परिवर्तन आया है तो आरक्षण से। इससे न केवल आर्थिक निर्भरता आयी है बल्कि बौद्धिक क्षमता बढ़ने के साथ–साथ हम आने वाले खतरे को भी पहचान सके हैं। इतने दिनों के संघर्ष के बाद मैं कह सकता हूं कि दलित समाज अपने मान–सम्मान एवं अधिकार के लिए इतना संगठित और समर्पित नहीं है, जितना कि दूसरा समाज। लगभग सभी कर्मचारी, बुद्धिजीवी को पता है कि निजीकरण की वजह से आरक्षण समाप्त हो रहा है और पदोन्नति में आरक्षण कुछ राज्यों में मिलना बंद हो गया है। इसका प्रभाव सभी जगह पहुंच सकता है चूंकि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुआ है, फिर भी ज्यादातर कर्मचारी–अधिकारी घरों से बाहर नहीं निकले यह सोचकर कि उनके अकेले लड़ने से खास फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि और दूसरे तो आर्थिक सहयोग से लेकर धरना–प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। वे नहीं भी सक्रिय होगें तो भी काम चल जाएगा और इसी तरह से बहुसंख्यक लोग सोचने लगे हैं, वरना 20 दिसंबर, 2012 को पदोन्नति से संबंधित 116वां संवैधानिक संशोधन पास ही हो गया होता और सरकार अब तक निजी क्षेत्र में आरक्षण के लिए कानून भी बना चुकी होती। जब मान–सम्मान एवं अधिकार के लिए संघर्ष करने की बात होती है तो हम एक–दूसरे का मुंह देखते हैं, लेकिन आरक्षण का फायदा लेना हो तो खुद को पहले चाहिए। दलित कर्मचारी–अधिकारी यह न भूलें कि बिना जाति प्रमाण–पत्र के तमाम पदों पर न होते। जिस समाज के कारण इतना बड़ा आर्थिक आधार एवं मान–सम्मान मिल रहा है, वे अपने गिरेबान में झांककर देखें कि उसके लिए कितना कुछ करते हैं ? अपनी कमाई, समय एवं बुद्धि का कितना हिस्सा समाज और आंदोलन को देते हैं ? मान लिया जाए कि समाज के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो कम से कम अपनी औलाद और आने वाली पीढ़ी के लिए तो संघर्ष करें। परिसंघ के अलावा क्या कोई और संगठन देश में है, जिसके माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है ?

हमारे समाज का पतन हर क्षेत्र में देखा जा रहा है और उसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि हाल के कुछ वर्षों में दलितों में जात–पांत बढ़ा है। जाति के नाम पर संगठन भी बने हैं, अगर नहीं भी बने हैं तो अंदरूनी रूप से इस दुर्भावना को ज़हर की तरह फैलाया जा रहा है। इससे बड़ा ज़हर हमारी तरक्की में बाधक कोई और हो ही नहीं सकता। खुले दुश्मन से लड़ना आसान है, लेकिन आस्तीन वाले से नहीं। क्या दलित की एक उपजाति मनुवादी व्यवस्था से लड़कर मान–सम्मान एवं अधिकार प्राप्त कर सकती है ? असम्भव है। फिर हम सवर्णों को क्यों दोष दें जब स्वयं जात–पांत करते हैं। दलित समाज में कुछ ऐसे निहितार्थ तत्व पैदा हो गए हैं कि जाति के नाम पर समाज को भ्रमित करके अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। ये कहीं मनुवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं। यदि यह कथन सत्य नहीं है तो सिद्ध करें कि क्या एक विशेष दलित की जाति इतनी ताक़तवर मनुवादी व्यवस्था में भागीदारी ले सकती है ? बाबा साहेब के जातिविहीन समाज के निर्माण के संघर्ष को हम आगे बढ़ा रहे हैं अथवा पीछे ढकेल रहे हैं ?

अधिकतर परिसंघ के साथियों की आदत बन गयी है कि वर्ष में एक बार दिल्ली में रैली होती है, उसमें भाग ले लेगें तो खानापूर्ति हो जाएगी। इससे अधिकार नहीं मिलने वाला है। पूरे साल भर जिला और प्रदेश स्तर पर आंदोलन करते रहना पड़ेगा। जितनी मक्कार सरकार है, उतने ही हमारे ज्यादातर कर्मचारी–अधिकारी भी हैं, वरना मजाल है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अब तक न मिल गया होता। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आगामी 25 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में में विशाल रैली आयोजित की जाएगी। अगर हम वर्ष भर सक्रिय रहें तो दिल्ली में जगह न मिले, फिर भी इस बार तो इतनी तैयारी करें कि सरकार हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए।

सद्भावनाओं सहित,

आपका,

उदित राज

(उदित राज)

राष्ट्रीय अध्यक्ष, परिसंघ

26–27 जुलाई को राजस्थान के बांसवाड़ा में नसोसवायएफ का चिंतन बैठक

बांसवाड़ा राजस्थान का एक पिछड़ा हुआ जनपद है। उसके आस–पास के जनपद उदयपुर, डूंगरपूर, राजसमंद हैं। इस इलाके में भील–आदिवासी की संख्या ज्यादा है। बांसवाड़ा में 70 प्रतिशत तक भील हैं। अंदाज लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि अतीत में इनका कितना शोषण सामंतों के द्वारा हुआ होगा। जहां शोषण तेज हो वहां पर आंदोलन की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे स्थानों पर कभी–कभी क्रांतिकारी साथी भी मिल जाते हैं। हर्षवर्धन के नेतृत्व में जब नसोसवायएफ का गठन हो रहा था तब बांसवाड़ा जिला के साथी आर. सी. बढ़ोत (राज) से मुलाकात हुई और वे प्रभावित होकर के नांदेड़ के चिंतन बैठक में शामिल हुए। इसी का नतीजा रहा कि बांसवाड़ा में दो दिन का चिंतन शिविर हुआ। कर्मचारी नेता रतन पाल डोडियार का सहयोग मिला और यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। पहले से ही डोडियार जी के नेतृत्व में हजारों हजार कर्मचारियों की रैलियां एवं सम्मेलन हुआ करते थे। छगन लाल, कमल कांत व भूरे लाल मीणा आदि के सहयोग से और भी मजबूती मिली।

नौजवानों एवं विद्यार्थियों के इस बैठक को परिसंघ के अध्यक्ष डॉ. उदित राज ने संबोधित करते हुए कहा कि अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर एक भी दलित, आदिवासी, पिछड़ों का ऐसा संगठन नहीं है। स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में इन वर्गों को सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा और दीक्षा भाजपा, कांग्रेस एवं कम्यूनिस्ट पार्टियों के छात्र एवं नौजवान मोर्चा देते रहे हैं और इस वजह से सही ज्ञान नहीं मिल पाता। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई मूलतः रोजगार प्राप्त करने के लिए की जाती है न कि समाज बदलने और राजनीति में भाग लेने के लिए। इन वर्गों के लिए समाज बदलना पढाई–लिखाई से भी कहीं ज्यादा जरूरी है और वह अभी तक नहीं मिली। शरीर एवं चेतना हमारा और विचार किसी और का, अब नहीं चलने दिया जाएगा। इसी सामाजिक एवं राजनैतिक शिक्षा के अभाव में जब वही छात्र राजनीति या नौकरी पेशे की जिंदगी जीते हैं तो जो सोच और आत्मनिर्भरता नहीं चाहिए उसका अभाव रहता है। यही कारण है कि ज्यादातर राजनीति में सवर्णों का चमचा बनकर रह जाते हैं। सरकारी नौकरी होते हुए भी औरों के मुकाबले में आत्मविश्वास और समर्पण नहीं रहता।

यह भी सच है कि कर्मचारी–अधिकारी समाज परिवर्तन में सहयोग दिया है। सामान्यतः दलित, आदिवासी के कर्मचारी, अधिकारी एवं बुद्धिजीवी को सामाजिक व्यवस्था की गूढ़ता, अन्याय, शोषण 30 वर्ष की उम्र के बाद समझ में आता है। यदि यही समझ और ज्ञान स्कूल के समय से ही इस समाज को बच्चों को दिया जाए तो ना केवल सामाजिक अन्याय से मुक्ति मिलेगी बल्कि हमारा देश महाशक्ति बनकर उभरेगा। सामाजिक असामनता से ही ज्यादातर कमियां हमारे व्यवस्था में है। इन समाज के बच्चों को गांधी, नेहरू, सुभाष, तिलक, टैगोर को आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जबकि इन्हें ज्योतिबा फूले, शाहूजी, डॉ. अम्बेडकर, पेरियार आदि के विचार एवं संघर्ष के बारे में बताना ज्यादा जरूरी है। आजादी के इतने दिन बाद बहुजन समाज के बच्चे सच्चे ज्ञान से वंचित रखे गए और उसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक कोई भी इस तरह का छात्र एवं नौजवानों का संगठन राष्ट्रीय स्तर पर तैयार नहीं किया गया। कुछ जगहों पर संगठन हैं भी तो उनका असर सरकारी नीति को प्रभावित करने तक नहीं हो पाता और जब नेतृत्व अध्ययन करके निकल जाता है तो वहां रिक्तता आ जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा संगठन रहे तो शून्यता नहीं आ पाएगी। इस संगठन का संरक्षण अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ से मिला है जिसकी पूरे देश में ईकाईयां हैं। कर्मचारी–अधिकारी संरक्षक का काम करेंगे। इससे निरंतरता बनी रहेगी और साथ–साथ संघर्ष भी तेज होता जाएगा। हर कर्मचारी, अधिकारी की जिम्मेदारी है कि इसको स्थापित करने के लिए तन, मन और धन से सहयोग दे।

पेज 1 का शेष ...

जातीय सामाजिक-धार्मिक संगठन पर प्रतिबंध क्यों नहीं ?

काम किया। ऐसा जानबूझकर ना हुआ हो लेकिन कभी–कभी इंसान जिस व्यवस्था का हिस्सा होता है, उसकी बनावट, गूढ़ता और क्रूरता को नहीं समझ पाता और शायद यही हमारे बुद्धिजीवियों के साथ हुआ। जाति तब तक नहीं टूटेगी जब तक इसके अनगिनत फायदे लोग लेते रहेंगे। जन्म से लेकर के मरण तक बिना किसी भुगतान या प्रयास के जाति का लाभ आदमी लेता रहता है। शादी, बच्चा पैदा करना, सेक्स, लेन–देन, तिथि–त्योहार, पूजा–पाठ, दुःख–तकलीफ, राजनैतिक सत्ता आदि जरूरतों की पूर्ति जाति ही करती है। क्या इतना फायदा राजनीति से आम आदमी को मिल सकता है? वोटर हो या सर्पोटर हो कभी–कभार कुछ फायदा जरूर मिल जाता है लेकिन फिर भी वह जाति नाम के संस्था से बहुत कम होता है।

यह मुख्य कारण है कि लोग जाति नहीं छोड़ते। जब शादी जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति जाति के बाहर से होगी तभी जाकर के यह टूटेगी।

आज से लगभग 2500 साल पहले जाति तोड़ने का महाअभियान भगवान गौतम बुद्ध ने चलाया था। असरदार भी रहा लेकिन धीरे–धीरे फिर से जाति व्यवस्था हावी हो गई। 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले जैसे महान समाज सुधारक ने इसकी समाप्ति के लिए अभियान चलाया और उसको आगे बढ़ाने का कार्य डॉ. बी. आर. अम्बेडकर, पेरियार, नारायण गुरू आदि ने किया। जितनी जाति टूटी नहीं उससे कहीं ज्यादा इसके प्रति चेतना का प्रादुर्भाव जरूर हो गया। तभी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला दिया। कभी जाति व्यवस्था सवर्णों के पक्ष में थी लेकिन अब धीरे–धीरे इसका कुछ लाभ दलितों एवं पिछड़ों को मिलने लगा। यही कारण है कि पिछड़ों एवं दलित नेताओं के जुबान पर इन महापुरुषों का नाम होता है लेकिन राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए जाति की खूब गोलबंदी करते हैं। यह बड़ा आसान तरीका है और वोटर और सर्पोटर को भावना में सराबोर करके कई बार चुनाव लड़ा जा सकता है। विकास, कानून व्यवस्था एवं शासन–प्रशासन अच्छा रहे या ना रहे लेकिन फिर भी जाति का समर्थन भावनावश मिलता रहता है। सवर्ण भी राजनैतिक लाभ के लिए जाति की रैली करते हैं अगर वह फायदेमंद होती तो। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य नेता यदि राजनैतिक लाभ के लिए जाति रैली करेंगे तो यह उल्टा पड़ जाएगा क्योंकि इनकी संख्या काफी कम है और ये लोग वोट भी देने कम ही जाते हैं। यही कारण है कि जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, राजपूत महासभा के नेताओं ने जाति तोड़ने का जबरदस्त विरोध किया और इसका इस्तेमाल समाज और धर्म में करने से बिल्कुल गुरेज नहीं किया सिवाय राजनीति में। जाति व्यवस्था ऐसी है कि सवर्णों को सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक क्षेत्र में इसकी गोलबंदी का फायदा तो होता है लेकिन अगर यही काम यह राजनीति में करेंगे तो घाटा होने के अवसर ज्यादा हैं।

ब्राह्मण महासभा के नेता श्री मांगेराम ने कहा कि इनके जाति के साथ अन्याय हो रहा है और लोग मजबूर होकर के अमेरिका में नौकरी करने जा रहे हैं। इनसे कहा गया कि अभी भी तमाम सरकारी विभागों में 70 प्रतिशत तक ब्राह्मण हैं तो इसका जवाब तो नहीं था लेकिन शिकायत अब तक बनी रही कि ब्राह्मणों के साथ भेदभाव हो रहा है। जाट एवं राजपूत नेताओं ने भी यही बात दोहराई। मैंने इनसे जब पूछा कि उन्हें अपनी जाति में ही रहने से घाटा हो रहा है तो हमने कहा कि ऐसे में जाति तोड़ने में ही भलाई इसके बावजूद वे लोग इस पर सहमत नहीं हुए। यह कैसी मानसिकता है कि जब जाति से फायदा हो तो उसका स्वागत और घाटे की जगह पर विरोध। इस समय लगभग सभी जातियां असंतुष्ट लग रही हैं कि उन्हें जितना मिलना चाहिए उससे वंचित हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांशीराम के नारे पर क्यों नहीं देश के लोग चलने पर सहमत हो जाते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी। जाति तो मरने पर भी नहीं जाती है। हाल में इंग्लैंड की संसद ने एक कानून बनाया कि उनके यहां भारत से गए विभिन्न जातियों में जो भेदभाव है, यदि वहां किया जाता है तो जूर्म माना जाएगा। हालांकि इसका सवर्ण जातियों ने विरोध किया लेकिन कानून बन ही गया। यदि इस देश में दो समस्या नहीं होती एक है जाति और दूसरा है लिंग भेद तो इसको दुनिया का महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता? जाति का विरोध हो तो पूरी ईमानदारी से हो और सबसे पहले जिन न्यायाधीशों ने फैसला किया, वे अंतर्जातीय शादी करने का संकल्प लेते। दूसरों को पाठ पढ़ाना आसान है लेकिन स्वयं के जीवन में उसे उतारना उतना ही मुश्किल।

(यह लेख जनसत्ता में 30 जुलाई, 2013 को प्रकाशित हुआ था।)

नसोसवायएफ के महाराष्ट्र राज्य कार्यकारिणी की बैठक संपन्न

हर्षवर्धन दवणे

नेशनल एस.सी., एस.टी, ओबीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ फ्रंट (नसोसवायएफ) महाराष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक 14 जुलाई 2013 को नांदेड के आईसीटी हॉल में संपन्न हुई।

इस बैठक के अध्यक्ष प्रा. डॉ. राजेंद्र गोणारकर थे और प्रदेश कार्यकारिणी चुनाव अधिकारी के पद पर डी. हर्षवर्धन (नेशनल कोऑर्डिनेटर), और सुनिल रावले थे। इस बैठक का आयोजन नितीन गायकवाडजी ने किया था। इस बैठक में महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। भावना इलपाची (नागपुर) को सर्वसम्मति से महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष के रूप से चुना गया वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर पंकज धाबे (परभणी), गणेश वाघमारे (सातारा) को चुना गया। प्रदेश सचिव पद पर भूषण गवली (अमरावती) और गिरीष माली (बुलढाणा) की नियुक्ति की गई। इस कार्यकारिणी के कार्याध्यक्ष पद की जिम्मेदारी बालाजी को सौंपी गई थी और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष के पद पर धर्मेंद्र कोरी को नियुक्त किया गया। इस प्रदेश कार्यकारिणी के चुनावी बैठक में 25 नवंबर को दिल्ली में 'निजी क्षेत्र में आरक्षण' की मांग को लेकर हो रही रैली में लाखों की तादाद में विद्यार्थी एवं युवकों की भीड़ इकट्ठा करने का संकल्प लिया गया और हर एक कार्यकर्ता को अपना लक्ष्य पूरा करने को कहा गया एवं नसोसवायएफ की सदस्यता बढ़ाने हेतू पूरे महाराष्ट्र के तहसील एवं जिला स्तर पर सदस्यता नोंदणी अभियान चलाने को कहा गया।

सदस्यता बढ़ाने के साथ–साथ निजी क्षेत्र में आरक्षण के इस राष्ट्रीय जन आंदोलन के लिए आर्थिक निधि जमा करने को भी कहा गया है। इसी राज्य कार्यकारिणी के बैठक में विदर्भ संघटक के पद पर गुरूप्रसाद गेडाम और मराठवाडा संघटक के पद पर संजय हाटकर को नियुक्त किया गया।

इस बैठक को मार्गदर्शन करते हुए डी. हर्षवर्धन ने कहा कि नसोसवायएफ एक बड़े सामाजिक क्रांति की ओर आगे बढ़ रहा है। देश के छह राज्यों में नसोसवायएफ का काम शुरू हुआ है। सामाजिक न्याय के इस आंदोलन में देश के लाखों छात्र एवं युवा जुड़ रहे हैं। आने वाले तीन सालों में देश के दलित–आदिवासी आंदोलन की ओर सामाजिक परिवर्तन की सोच नसोसवायएफ बदल के रख देगा। हम डॉ. उदित राज को एक सच्चे अंबेडकरवादी नेता मानते हैं और आनेवाली क्रांति भी उनके ही नेतृत्व में होगी। उन्होंने राज्य कार्यकारिणी के चुने गए पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी और इस संगठन को पूरे महाराष्ट्र में तेजी से बढाने को कहा।

आगामी 25 अगस्त को लखनऊ में प्रांतीय सम्मेलन

अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की उ0प्र0 इकाई का प्रांतीय सम्मेलन 25 अगस्त, 2013 (रविवार) को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक, सहकारिता भवन, लखनऊ में निजी क्षेत्र, न्यायपालिका, सेना एवं पदोन्नति में आरक्षण के लिए आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ0 उदित राज जी होगें। इस सम्मेलन को विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी सम्बोधित करेगें। उ0प्र0 के विभिन्न सरकारी कर्मचारी संगठनों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व समाजसेवियों को सादर आमंत्रित किया जाता है। कृपया साथियों सहित उपस्थित होकर सम्मेलन को सफल बनाएं।

भवननाथ पासवान
प्रदेश अध्यक्ष
09415158866

पाठकों से अपील

'वॉयस ऑफ बुद्धा' के सभी पाठकों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक वार्षिक शुल्क/शुल्क जमा नहीं किया है, वे शीघ्र ही बैंक ड्रॉफ्ट द्वारा 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के नाम से टी–22, अतुल ग्रोव रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001 को भेजें। शुल्क 'जस्टिस पब्लिकेशंस' के खाता संख्या 0636000102165381 जो पंजाब नेशनल बैंक की जनपथ ब्रांच में है, सीधे जमा किया जा सकता है। जमा कराने के तुरंत बाद इसकी सूचना ईमेल, दूरभाष या पत्र द्वारा दें। कृपया 'वॉयस ऑफ बुद्धा' के नाम ड्राफ्ट या पैसा न भेजें और मनीआर्डर द्वारा भी शुल्क न भेजें। जिन लोगों के पास 'वॉयस ऑफ बुद्धा' नहीं पहुंच रहा है, वे सदस्यता संख्या सहित लिखें और संबंधित डाकघर से भी सम्पर्क करें। आर्थिक स्थिति दयनीय है, अतः इस आंदोलन को सहयोग देने के लिए खुलकर दान या चंदा दें।

सहयोग राशिः

पांच वर्ष : 600 रुपए

एक वर्ष : 150 रुपए

न्यायपालिका कानून का व्याख्यान करे न कि बनाएं

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ के छत्तीसगढ़ इकाई द्वारा वृंदावन हॉल, (कबीर चौक के पास, नीर भवन के सामने) रायपुर में 10 अगस्त को प्रातः 10 बजे एकदिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन

मुख्य अतिथि
माननीय उदित राज
अध्यक्ष, परिसंघ

संपर्क
अनिल मेश्राम-9893008233 व हर्ष मेश्राम-9826127236

डॉ0 उदित राज, राष्ट्रीय अध्यक्ष – अनुसूचित जाति/जन जाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ एवं इंडियन जस्टिस पार्टी ने कहा कि 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, श्री अल्तमस कबीर ने एक फैसला सुनाया कि अब मेडिकल में प्रवेश लेने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक ही परीक्षा नहीं देना होगा बल्कि निजी कॉलेज स्वयं प्रवेश परीक्षा लेकर कर सकते हैं। सन् 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि अखिल भारतीय स्तर पर प्रवेश के लिए एक ही परीक्षा हो ताकि मेरिट भी बनी रहे और साथ–साथ गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्र के भी विद्यार्थी प्रवेश पा सकें। क्या यह समझना मुश्किल है कि मुख्य न्यायाधीश ने ऐसा फैसला अपने सेवानिवृत्ति के आखिरी दिन क्यों किया? सरकारी मेडिकल कॉलेज देश में लगभग 150 हैं और निजी क्षेत्र में 200 से ऊपर हैं। हाल में संतोष मेडिकल कॉलेज, गाजियाबाद में आयकर विभाग का छापा पड़ा तो पता लगा कि एक सीट 1 करोड़ से 2 करोड़ तक में बिकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अब लूट और बढ़ जाएगी। इससे न केवल गरीब एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी प्रभावित होंगे बल्कि गुणवत्ता पर भी भारी असर पड़ेगा। निर्णय के बाद से ही देश में चर्चा होने लगी है कि अब भविष्य में यदि डॉक्टर को दिखाने जाएं तो यह जांच कर लें कि वे सरकारी कॉलेज में पढ़े हैं या निजी में। कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के तहत जो भी प्रवेश पाते हैं उनका पढ़ाई–लिखाई का क्या स्तर होता है यह समझना मुश्किल नहीं है। अखिल भारतीय स्तर पर जब प्रवेश परीक्षा होती थी तो यह निश्चित होता था कि प्रवेश लेने वाले छात्र के पास न्यूनतम मेरिट होती है और वह मरीज के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगा।

डॉ. उदित राज ने कहा कि उच्च न्यायपालिका यदि कानून का व्याख्यान समय पर कर दे तो उससे ही तमाम समस्या का समाधान हो जाएगा। अदालतों में मुकदमें 50 वर्ष से ज्यादा अवधि के पड़े हुए हैं। न्याय पाने के लिए ऐसे वकील के पास जाना मजबूरी होता है जो कि लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में फीस लेते हैं। यह भी नहीं है कि उन्हीं के पास कानून का ज्ञान होता है। न्यायपालिका की ही गलती और पक्षपात से ही कुछ ही वकील ऐसे हैं जिनकी फेस वैल्यू है और लोग मजबूरी में उन्हीं के पास जाते हैं। वरिष्ठ वकील के पास शायद ही समय होता है कि वह केस को बहुत बारीकी से अध्ययन करे, जूनियर वकील पूरी तैयारी करके उन्हें बताते हैं और फिर जाकर के फेस वैल्यू के आधार पर बहस करते हैं। यदि न्यायपालिका बिना फेस वैल्यू के बहस को महत्व दे तो यह महंगी न्यायप्रणाली काफी सस्ती हो सकती है। जो न्यायपालिका मेरिट के नाम पर जनप्रतिनिधि के बनाए कानून में टांग अड़ाती है क्या वह कभी सोचा कि वह किस मेरिट के तहत आए हैं? जज बनने के लिए क्या कोई इम्तिहान है? भाई–भतीजावाद एवं सिफारिश से ही ज्यादा जज बन रहे हैं, यह कौन नहीं जानता? हाल ही में सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश अपनी बहन को जज बनाना चाहते थे, इत्तिफाक से विरोध हो गया वरना बन भी जाती तो इसमें कहां मेरिट है? ये जज खुद मेरिट से आते तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाए कानून को बदलते तो बात समझ में आती। किसी भी देश में न्यायपालिका कानून बनाने का काम नहीं करती सिवाय भारत के। हद तो तब हो जाती है जब जज ही जज की नियुक्ति करते हैं। जनता के चुने प्रतिनिधियों ने यदि स्पेशियिलिटी और सुपर स्पेशियिलिटी में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग में आरक्षण दिया तो उसको वे कैसे बदल सकते हैं? 50 वर्ष से ज्यादा अवधि के मुकदमे लंबित पड़े हैं न्यायपालिका उन्हें निबटाने में ध्यान दे न कि जनप्रतिनिधियों के बनाए कानून में अड़ंगा लगाकर के समय बर्बाद करे। डॉ. उदित राज ने आगे कहा कि दुर्भाग्य है कि ऐसा उच्चतम न्यायालय इसलिए कर रही है कि हमारे तमाम राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं और उसी का फायदा उठाया जा रहा है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने कहा कि जजों को कानून नहीं बनाना चाहिए बल्कि वे इसे लागू करने के लिए निर्णय लें। विधायिका ही नहीं बल्कि कार्यपालिका भी भ्रष्ट है इसलिए इन्हें सीमा को पार करने का लाइसेंस मिल गया है।

भगवान बुद्ध एवं बाबा साहेब डॉ. अंबेडकर के विचारों को नष्ट करने की साजिश कर सत्ता हथियाने का प्रयास

वासूदेबराव बागडे

अखिल भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (खो.) के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एडवोकेट वासुदेवराव बागडे, अखिल भारतीय भिक्षु संघ के सदस्यगण भन्ते धम्मानंद बोधी, भन्ते महानंद बोधी, भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष चन्द्रभान बागडे, समता सैनिक दल के जिला कमांडर सहादेवराव गोडबोले एवं समता सैनिक दल की विधि सलाहकार एडवोकेट सरोज दुपारे एवं अन्य सहयोगी अधिवक्ताओं द्वारा प्रेस विज्ञप्ति तथा प्रेषित ज्ञापन के अनुसार माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय एवं अन्य को अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से महाबोधि बुद्ध विहार में घटित बम कांड की घटना का निषेध करते हुए विशेष रूप से ज्ञापन में महाबोधि बुद्धविहार अधिनियम 1948 निरस्त कर उसका प्रबंधन बौद्धों को सौंपा जाए एवं मुस्लिम, हिन्दू विधि के तर्ज पर बौद्धों के लिए पर्सनल विधि बनाये जाने का अनुरोध भारत सरकार से किया गया।

अल्पसंख्यक आयोग, श्रम सलाहकार मंडल एवं श्रम कल्याण मंडल के पूर्व सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता वासुदेवराव बागडे ने आगे कहा कि, गत् वर्ष मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं अन्य भाजपा शासित राज्यों में धर्म विरोधी संबंधित विधान सभाओं में विधेयक पारित किया गया था, जिसका विरोध आर. पी. आई, भारतीय बौद्ध महासभा, समता दैनिक दल एवं अनुषांगिक संगठनों द्वारा पुरजोर ढंग से किए जाने पर तत्कालीन राष्ट्रपति महोदया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने धर्मविरोधी विधि बनाने पर असहमति व्यक्त करते हुए विधेयक म. प्र. सरकार को वापस लौटा दिया था।

उल्लेखनीय है कि 5 सूत्रीय ज्ञापन में अम्बेडकर विचाराधारा एवं बुद्धिस्ट आंदोलन से भयभीत होकर डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 25 के तहत धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्मान्तर करने का अधिकार दिये जाने से करोड़ो की संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा अन्य लोगों ने बौद्ध धर्म का स्वीकार किया है और यह सिलसिला अनवरत जारी है। भारत को बौद्धमय बनने से रोका जाने तथा हिन्दू राष्ट्र निर्माण करने की दृष्टि से म. प्र. सरकार द्वारा इसी मानसून सत्र में 10 जुलाई को बिना किसी चर्चा के म. प्र. धर्म स्वतंत्र विधेयक आनन–फानन में पारित करा लिया है और माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर हेतु विधि बनाने की दृष्टि से शीघ्र भेजा जाना प्रस्तावित है।

उपर्युक्त अम्बेडकर संगठनों के अतिरिक्त धार्मिक अल्पसंख्यकों संगठनों द्वारा म. प्र. सरकार द्वारा धर्मांतर विरोधी कानून बनाकर 4 वर्ष की सजा (जिलाध्यक्ष की अनुमति के बिना) करने का प्रावधान किया गया है। जो कि भारतीय संविधान, लोकतंत्र के विरूद्ध काला कानून है। इसके पूर्व माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, सरकार म. प्र. से पत्राचार कर निवेदन किया गया था कि ऐसा कोई कानून न बनाया जाये अन्यथा देश में सभी धार्मिक अल्पसंख्यक लोग भगवाकरन हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना के विरूद्ध देश में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जिससे विघटन की स्थिति भी बन सकती है। म. प्र. सरकार द्वारा उसकी अनेदखी किए जाने से भारतीय बौद्ध, ईसाई, जैन तथा अन्य अल्पसंख्यक लोगों में सरकार द्वारा पारित विधेयक के प्रति असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

एडवोकेट वासुदेवराव बागडे ने स्पष्ट रूप से भाजपा, आर. एस. एस, विश्व हिन्दू परिषद एवं अन्य अनुषांगिक हिन्दू संगठनों के विरूद्ध आरोप लगाया कि वर्षो से एक साजिश के तहत भारतीय संविधान तथा भगवान बुद्ध एवं बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को नष्ट करने एवं हिन्दू राष्ट्र की संकल्पना करने की साजिश कर सत्ता हथियाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त कृत्य का खून के आखिरी कतरे तक अम्बेडकरी आंदोलन के सभी अनुयायी एकजुट होकर विरोध करेंगे।

माननीय उदित राज बहुरत्न पुरस्कार से सम्मानित

जगदीश नगरकर

माननीय उदित राज को बहुरत्न पुरस्कार–2013 से सम्मानित करते अधिकारी

26 जून को मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी और कर्मचारी के ऋणानुबंध अभियान संगठन की तरफ से आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज के जन्मदिन पर मुंबई विद्यापीठ के कलिना कैंपस, जे. पी. भवन में दिन भर का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में ऋणानुबंध अभियान की तरफ से माननीय उदित राज जी को बहुजन रत्न–2013 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के उद्घाटक व अध्यक्ष माननीय डॉ. उदित राज थे। इस कार्यक्रम में नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण व पदोन्नति में आरक्षण जैसे विषयों पर पूरे दिन चर्चा सत्र हुआ। इस सत्र में मुंबई विद्यापीठ के सीनेट सदस्य संजय वैराल, प्रकाश पाटिल, इंदिरा अठावले, सिद्धार्थ भोजने, बंधुराज लोने, प्रमोद सावन ने अपने–अपने विचार रखें।

समारोह के शाम का सत्र दादर के घुरू हॉल में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज जयंती का कैलेंडर को प्रकाशित किया गया। साथ ही निर्मला निकेतन ऑफ सोशल सांइस के चिराग संस्था के गरीब बच्चों को स्कूल का साहित्य दिया गया। इसमें दीक्षा शिंदे, प्रकाश पाटिल, डी. हर्षवर्धन, इंदिरा अठावले, डी. आर. कांबले ने अपने विचार व्यक्त किए। इसको सफल बनाने के लिए प्रकाश पाटिल, नरेश तगारे, राजेंद्र इंग्ले, जगदीश नगरकर, मूल निवासी माला, नागेश पडनेकर, कल्याण रावगाडे ने कड़ी मेहनत की।

18 अगस्त को दिल्ली, एनसीआर एवं हरियाणा परिसंघ का सम्मेलन

अनुसूचित जाति/जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय परिसंघ की दिल्ली इकाई द्वारा 18 अगस्त, 2013 को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक स्पीकर हॉल, कांस्टीट्यूशन क्लब, भारतीय रिजर्व बैंक के पीछे, नई दिल्ली पर एकदिवसीय सम्मेलन किया जाएगा। इसमें न केवल दिल्ली के बुद्धिजीवी, कर्मचारी–अधिकारी शामिल होगें, बल्कि आस–पास के जिले, एनसीआर एवं हरियाणा के भी। सम्मेलन में आगामी 25 नवंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली की सफलता की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा मुख्य रूप से निजी क्षेत्र एवं पदोन्नति में आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली, एनसीआर एवं हरियाणा के साथियों से अनुरोध है कि मित्रों साहित तम्मेलन में शामिल हों। संभव हो तो तैयारी के संबंध में अग्रिम में सूचित भी करें।

(विनोद कुमार)
राष्ट्रीय महासचिव
9871237186

आवंटित पदों को सवर्णों के लिए आरक्षित न किया जाए

अखिलेश

आरक्षण अधिनियम 1994 तथा माननीय न्यायालयों द्वारा समय–समय पर पारित निर्णय विधियों के अनुसार, यह सुस्थापित तथ्य एवं व्यवस्था है कि राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण अधिनियम के अनुसार, आधे पद सामान्य वर्ग के लिए तथा आधे पद आरक्षित वर्ग के लिए विज्ञापित होते हैं।

इस संबंध में आयोग द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में जनसूचना अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत पूछे जाने पर सूचना संख्या–01/अति गोपन–2/जनसूचना 2008–09 (टी. सी.) दिनांक 22 दिसंबर 2008 के द्वारा आयोग ने सूचना उपलब्ध कराई।

उपरोक्त सूचना एवं अपीलीय अधिकारी (जनसूचना) द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2009 को मौखिक रूप से स्पष्ट किए गए विवरणों से जो स्थिति उभर कर सामने आती है वह निम्न प्रकार है–

1. आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में ही सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित 50 प्रतिशत पदों के सापेक्ष मात्र सवर्णों को क्वालीफाई कराने का आशय है कि सामान्य वर्ग के 50 प्रतिशत पद सवर्णों के लिए आरक्षित हैं।

2. अतः आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सवर्ण वर्ग से अधिक अंक पाने के बावजूद आरक्षित वर्ग में गिने जाने से उच्च मेरिट में होने के बावजूद आरक्षित वर्ग को ही डिस्पलेस करता है और 50 प्रतिशत अभ्यर्थियों की संख्या जानबूझ कर उनकी (सवर्ण) करा दी जाती है जिनके लिए कोई आरक्षण नहीं है भले ही उनकी मेधा सूची निम्नतर हो।

3. अनेक ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कभी–कभार ही प्री क्वालीफाई कर पाते हैं और यदि वे क्वालीफाई कर जायें तो मेन्स में उनकी पकड़ मजबूत होती है लेकिन उक्त व्यवस्था से सामान्य वर्ग में केवल सवर्णों के गिनने से उनकी संख्या बढ़ जाती है और चयन के अनुसार स्वतः ही बढ़ जाते हैं क्योंकि संभव है कि दोषपूर्ण व्यवस्था के कारण आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी (सभी नहीं) उच्च मेरिट में होने के बावजूद उसे आरक्षित वर्ग में ही गिनती किया जाएगा और इस प्रकार वह सवर्ण के लिए स्थान रिक्त करके आरक्षित वर्ग के निचले और दबे–कुचले अभ्यर्थियों को स्थानांतरित करेगा।

4. मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कारोपरान्त प्रचलित व्यवस्था के कारण अनुपात से अधिक सवर्ण अभ्यर्थियों को अवसर मिल जाता है क्योंकि शासनादेश को तोड़–मरोड़कर आयोग ने 50 प्रतिशत की आरक्षण सीमा नहीं प्रदान की है बल्कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत की एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। इस प्रकार आयोग ने आरक्षण अधिनियम–194 को निष्प्रभावी करके सवर्णों को आरक्षण देने की युक्ति खोज ली है।

5. जिला कमांडेंट होमगार्ड के प्रकरण पर याचिका संख्या 240 (एस. बी.) सन् 2006, (निर्णय दिनांक 11. 05.2007) लखनऊ खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय विधि के अनुसार, सामान्य वर्ग का आशय किसी वर्ग विशेष के लिए आरक्षित पद नहीं बल्कि वे समाज के सभी वर्गों के अभ्यर्थियों/व्यक्तियों के लिए होते हैं। अतः यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य मेरिट में है अथवा श्रेष्ठतर स्थान पर है तो प्रथमतः उसे ही सामान्य वर्ग का पद मिलेगा।

6. अपीलीय अधिकारी (जनसूचना) ने दिनांक 24.01.2009 को अवगत कराया कि आयोग प्रारंभिक परीक्षा अथवा स्क्रीनिंग परीक्षा को परीक्षा का भाग नहीं मानता है इस संबंध में निवेदन है कि नियमावली का यह प्रावधान कि प्रारंभिक या स्क्रीनिंग, परीक्षा का भाग नहीं है, से तात्पर्य मात्र उसके अंक ना जोड़े जाने से है। अभ्यर्थियों की योग्यता जांचने का कोई भी पैमाना मेरिट को निर्धारित करता है यह बात अलग है कि अंतिम परिणाम बनाते समय उसके अंक जोड़ दिए जाते हैं अथवा नहीं। सारांशतः यह कि किसी भी परीक्षा में अपनायी जाने वाली कोई भी प्रक्रिया यदि पदों को चिंहित करके तुलनात्मक रूप से संख्या के आधार पर सभी अभ्यर्थियों की गणना निर्धारित करती है तो यह तथ्य आरक्षण अधिनियम 1994 तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से आच्छादित होता है। अतः स्क्रीनिंग या प्रारंभिक परीक्षा में यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की कट ऑफ मेरिट से अधिक अंक अर्जित करता है तो उसे सामान्य में समाहित किया जाना चाहिए।

7. चूंकि शासन संपूर्ण पदों के कैडर का रख–रखाव करता है और कैडर में प्रथम बार चयन होने पर तो 50–50 फीसदी की सीमा समझ में आती है लेकिन बाद में रिक्त होने वाले पदों पर 50–50 फीसदी पद करके चयन नहीं कराया जा सकता। अन्यथा इस व्यवस्था में दो–चार चयनों के उपरांत आरक्षण स्वतः समाप्त हो जाएगा। उदाहरणार्थ मान लीजिए किसी सृजित संवर्ग में 100 पद हैं। प्रथम बार चयन में आधे अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के और आधे आरक्षित वर्ग के हैं, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष है वहीं आरक्षित की 40 वर्ष। वे एक साथ चयन होने के बावजूद आरक्षित अभ्यर्थी पहले सेवानिवृत होंगे जो 35 वर्ष से 40 वर्ष की आयु सीमा में पद प्राप्त करेंगे और यदि उक्त क्रम में से 20 व्यक्ति ऐसे निकले और उन 20 पदों को भरते समय पुनः 50 प्रतिशत आरक्षण (सामान्य/सवर्ण के लिए) किया जाए तो आधे पद स्वतः समाप्त हो गये और अग्रेतर चयनों में सभी आरक्षित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

8. शासन से प्राप्त अधियाचन में यदि किसी संवर्ग में 100 पद उल्लिखित हैं जिसमें 30 पद एससी (यूपी) व 33 पद ओबीसी (यूपी) तथा शेष पद सामान्य वर्ग के लिए चिन्हित है तो आयोग के अधिकारीगण प्रायः शासन से यह अनावश्यक पूछा करते हैं कि आरक्षित पद 50 प्रतिशत से अधिक है। अतः इन्हें 50 प्रतिशत ही रखा जाए। इस प्रकार या तो 50 प्रतिशत की सीमा तक पदों को लाया जाता है या फिर चयन/नियुक्ति में वर्षों विलंब किया जाता है जिससे तमाम अभ्यर्थी उम्र क कारण अवसर खो बैठते हैं। जबकि शासन संपूर्ण कैडर में रोस्टर के अनुसार चिन्हित पदों के सापेक्ष ही अधियाचन भेजते हैं। अतः अनावश्यक परीक्षाओं को रोका जाना चाहिए अथवा उन अधियाचनों में भी परीक्षा की जाये जिनमें सामान्य वर्ग के लिए आधे से अधिक पद आवंटित हों।

इस प्रकार आरक्षण अधिनियम 1994 व समय–समय पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा कराये जा रहे सभी चयनों (सीधी भर्ती व प्रतियोगिता परीक्षा) में सामान्य वर्ग के लिए आवंटित पदों को सवर्णों के लिए आरक्षित ना किया जाए और सामान्य श्रेष्ठता में जो अभ्यर्थी हो चाहे वह जिस जाति या संवर्ग से हो उन्हें सामान्य वर्ग में माना जाये/रखा जाये। तत्पश्चात् आरक्षित वर्ग के पदों के सापेक्ष केवल आरक्षित वर्ग से मेरिट बनायी जाये और यह प्रक्रिया परीक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपनायी जाए। साथ ही आयोग द्वारा तथाकथित रूप से सामान्य वर्ग की परिभाषा कुछ विशिष्ट जातियों तक सीमित ना रखकर उसे प्रस्तर–5 में अभिलिखित व्याख्या के अनुसार अपनाया जाये।

Juidicary's Job is to Interpret Laws and Not to Make It.

Dr. Udit Raj, National Chairman, All India Confederation of SC/ST Organizations and National President, Indian Justice Party, said that the Chief Justice of the Supreme Court of India, Justice Altmas Kabir, had said in his judgement delivered on 19.7.2013 that henceforward that students for medical courses will no longer be required to appear for an all India admission test and that the private medical colleges could conduct their own admission tests. In the year 2010, the Supreme Court had given a judgement that an All India Admission Test should be held for admission to medical colleges which would not only ensure merit but would also give a fair chance to poor students including those from the rural areas. Is it difficult to understand as to why the Chief Justice of the Supreme Court of India has delivered this judgement just a few days before his retirement. There are approximately 150 govt. medical colleges in the country and the number of private medical colleges is more than 200. During a raid by the Income Tax Department at the Santosh Medical College, Ghaziabad, it came to light that capitation fee for a seat in the medical college is anywhere between Rs. 1 crore and Rs. 2 crore. The recent judgement of the Supreme Court in this regard will make matters worse.This judgement will not only adversely affect the poor students including those from the rural areas, but will seriously undermine the merit of the students. Soon after this judgement, it is a topic of discussion across the country that now onwards patients should check up whether the doctor to whom they are going to consult is from a Government or private medical college. It is not difficult to make out as to what is the standard of a doctor who has come out of a private medical college on payment of capitation fee. When admissions were done on the basis of an All India Admission Test, it ensured that the students had the minimum merit requirement and on becoming doctors, they would not play havoc with the lives of the patients.

Dr. Udit Raj said that if the Higher Judiciary interprets laws at the right time, we could find solutions to most of the problems. Cases are lying pending in Courts for more than fifty years. For the sake of getting justice, it becomes

imperative for the clients to hire the services of lawyers who charge lakhs and crores of rupees as their fees. It is not that these lawyers alone have all the knowledge of law. Due to some lapses or biased attitude of the judges, some lawyers have face value and clients have no choice but to go to them. It is very rare that a senior lawyer has the time to go through a case in minute detail and it is the junior lawyers who go through the case, in detail, and brief the senior accordingly who, in turn, appear before the Courts on the basis of their face value. If Judiciary deals fairly with the due process of law, without giving importance to lawyers based on their face value, the present costly judicial system can become affordable. Has the Judiciary which questions the laws made by the Legislature whose representatives are elected by the people , has ever pondered over the basis of their own merit? Is there any examination to become a Judge? Who does not know that in most of the cases, the basis for selection of Judges is favouritism and nepotism? The recently retired Chief Justice of the Supreme Court was keen to appoint his sister as the Judge, which was incidentally opposed by the current chief justice of Gujarat, So, where is the merit? He had to pay the price and as result he lost chance to become judge of supreme court. There could be some sense if the Judges who make laws rather than interpreting laws, would have been selected based on their merit. In no other country in the world except India , Judiciary does the job of making laws and judges appoint judges. If the elected representatives of the people had made laws for giving reservation in Specialty and Super Specialty areas in Medical and Engineering Colleges, then how can the Judiciary change it? The Judiciary should give more attention to the cases which are lying pending in Courts for more than fifty years rather than wasting their time by interfering with the laws made by the Legislature. Dr. Udit Raj further said that that it is unfortunate that the Supreme Court is doing so on the premise that all our politicians are corrupt and are taking advantage of that situation. Retired Justice Markandey Katju said that Judges should not make laws, rather they should deliver judgements by interpreting laws. It is not only the Legislature but Executive is also corrupt. As such the Judiciary appears to have a license to cross its limits.

One day Conference of Delhi, Haryana & NCR units of the Confederation to be held on 18th August, 2013

Delhi Unit of the All India Confederation of SC/ST Organizations shall hold one-day Conference on 18.8.2013 from 10 AM to 5 PM at Speaker Hall, Constitution Club, behind the Reserve Bank building. Employees, officers and intellectuals of Delhi, Haryana, NCR units and other nearby areas shall take part in this Conference. Besides discussing other issues like reservation in Private Sector and promotions, the Conference will chalk out the strategy for the successful holding of the forthcoming annual Confederation rally to be held on 25.11.2013 in Delhi. The Confederation members of these units are requested to participate in this Conference along with their colleagues. If possible, they may send a brief note about their preparations for this Conference.

(Vinod Kumar)
National General Secretary,
Mobile 9871237186

Appeal to the Readers

You will be happy to know that the **Voice of Buddha** will now be published both in Hindi and English so that readers who cannot read in Hindi can make use of the English edition. I appeal to the readers to send their contribution through Bank draft in favour of **'Justice Publications'** at T-22**,** Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001. The contribution amount can also be transferred in 'Justice Publications' Punjab National Bank account no. 0636000102165381 branch Janpath, New Delhi, under intimation to us by email or telephone or by letter. Sometimes, it might happen that you don't receive the Voice of Buddha. In that case kindly write to us and also check up with the post office. As we are facing financial crisis to run it, you all are requested to send the contribution regularly.

Contribution:
Five years : Rs. 600/-
One year : Rs. 150/-

26.7.2013

My dear friends

Circular No. 78

We were treated like slaves till people of our community had not got proper self respect and constitutional rights. Reservation has brought about a significant change in our condition which has not only made us economically independent and now we are intellectually competent to deal with any impending dangers to our existence . Based on my long-drawn struggle over a considerable period of time for the rights of Dalits, I can say with confidence that the Dalit community is still not as much organized and committed for their rights and self-respect as is the case with so called upper caste. Most of the employees and intellectuals are aware that because of privatization, reservation in jobs is shrinking. Reservation in promotions has been stopped in some of the states which can have impact on other states because it has been held by Supreme Court . Despite this, most of the employees and officers have not come out of their houses for this purpose because they think that it will not matter much if they alone do not struggle for this cause as others are fighting for the same through different ways like holding Dharnas and demonstrations . This is the mind-set of the majority of our people otherwise the 117th constitutional amendment relating to reservation in promotions would have been passed on 20.12.2012 and the Government would have also passed a law relating to reservation in private sector. Whenever there is the question of a struggle for self-respect and rights, we start looking at one another but when it comes to getting the benefit of reservation, we are the first to ask for such benefits. Dalit employees and officers should not forget that without caste certificate, they would not have been holding the present position. These employees and officers who have got huge respect and financial benefits should introspect as to what has been their contribution towards the community which has been responsible for getting them these rights. What portion of their economic assistance , time and mind is given by these employees and officers for their community? Let us take it that you do not want to do anything for the community but at least you must fight for the rights of your children and for the coming generations. Is there any organization other than the Confederation which is capable of accomplishing this task in the country?

There has been a decline in our community in virtually all the areas and one of the main reasons for this is that during the last few years, caste divide among Dalits have increased considerably. Organizations have come into existence on the basis of sub- caste and even if this has not happened in some cases, the venom of caste feelings is being spread indirectly. There could not be anything worse than caste divide which stands in the way of the unity and struggle for the mission. It is easy to fight with a person who openly challenges you but it is very difficult to deal with enemy within . Is it possible for a particular sub-caste of Dalits to struggle against the mighty Manuvadi system for obtaining self-respect and rights for the entire Dalit community? It is next to impossible. Then, we have no reason to blame upper-castes if we ourselves are indulging in caste- division. There are some selfish elements in Dalit community who are misleading the community in the name of caste just to grind their own axe. This can cause much more harm to Dalit community than the harm being caused by the upper caste people. If it is not true, then it should be proved that people of one sub-caste of Dalit community can shatter the strangle-hold of the Manuvadi system for getting their share in governance and self-respect. Are we taking ahead the goal of Baba Saheb for building a caste-less society or working against it?

Most of the Confederation members assume that by participating in the annual rally in Delhi, they are discharging their duty towards the mission. We should understand that in this way, we cannot achieve our goals. There has to be struggle throughout the year for our rights both at the district and State level. Most of our employees and officers are as wicked as the Government, otherwise there is no reason that as to why the goal of reservation in private sector had not been achieved. Like every year, this year also a rally is being organized on 25.11.2013 at Ramlila Maidan. Had we been active throughout the year, there would have been a huge crowd in Delhi on this occasion but anyway, this time we should gird up our loins in a way that the Government is forced to concede our demands.

With Jai Bheem

Yours sincerely,

(Udit Raj)
National Chairman,
All India Confederation of
SC/ST Organization
Mobile 9899382211

Rest of Page-8...

WHY THERE IS NO BAN ON SOCIO-RELIGIOUS ORGANIZATIONS?

his point that Brahmins are not getting fair treatment. Jat and Rajput leaders repeated the similar charge about their communities. When I asked that if by remaining in their respective caste-fold, they are losers, it is good for everyone to abolish the caste system. What a mind-set is this that when it is beneficial, the upper caste people want to cling on to the caste system but when it harms their interests, they oppose it. Presently, people of nearly all the castes are dissatisfied that they are not getting their due. In the circumstances, why the people of the country do not agree to adopt the slogan of Kanshi Ram Ji that the share in governance for people of all castes should be in proportion to their numbers. Caste does not end even with death. Recently the British Parliament passed a law that any discrimination on caste lines practiced by Indians settled in Britain among themselves will be a punishable offence, even though it was opposed by the upper caste people there. Nobody could stop this country from becoming a world power but for two reasons, one, the evil of caste system and discrimination on the basis of sex or sex segregation. If there has to be opposition to the caste system, it must be done in all sincerity and first of all, the Judges who have passed this judgement should have taken a resolve to support inter-caste marriages . As the saying goes, practice is much better than preaching.

VOICE OF BUDDHA

Publisher : Dr. UDIT RAJ (RAM RAJ), Chairman - Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42

● Year : 16 ● Issue 17 ● Fortnightly ● Bi-lingual ● 16 to 31 July, 2013

WHY THERE IS NO BAN ON SOCIO-RELIGIOUS ORGANIZATIONS?

Dr. Udit Raj

In its judgment on 11.7.2013, the Allahabad High Court banned holding of caste-based rallies. Recently the Samajwadi Party and Bahujan Samajwadi Party held some caste based rallies like the Brahmin Sammelan etc. In the past also, similar rallies have been held. Ever since the political parties have been openly seeking caste-based political support, there has been a criticism of the same. The upper caste intellectuals have seen it as a new trend and are quite crtitical. All sorts of arguments were advanced that it will not only have adverse impact on administration and governance but also compromise on merit. If the criticism had been against the caste system and its unbridled propagation as such, the demand for banning caste-based political rallies would have been quite logical. Some people openly supported this judgement and in certain quarters, it had been opposed on the ground as to why the Allahabad High Court has banned caste-based political rallies when they wanted to seek a share in the political set-up of the country. Caste-based social, religious and economic organizations are also there and this is the case with people belonging to almost all the castes and why the High Court has not imposed a ban on these organizations.

First of all, we should talk about the protagonists of the judgment as to why they are supporting it when actually they are in favour of the caste system. On the 20th of July, 2013, NDTV had organized a debate in which besides myself, Shri Yudhvir Singh of All India Jat Mahasabha, Shri Mange Ram Sharma of the Vishwa Brahmin Mahasabhya, Shri Mahendar Singh Tanwar of Kshatriya Mahasabha and leaders of the Potedar Samaj had also participated. All these leaders except myself whole-heartedly supported the ban on political rallies but when they were asked as to why they were actively working for caste-based social organizations and whether they were ready to forgo their caste tag, all of them immediately said in one voice as to why they should do so. This was a contradiction in itself and reflected the double standards of the people in as much as they welcome anything which is beneficial for the people of their caste and oppose caste system when anything causes harm to the people of their caste. In the circumstances, can we put an end to the venom of casteism? The Hindu society is a bundle of contradictions and whosoever is put to any disadvantage by the society, revolts against the society but is not ready to put an end to caste system.

There have been significant changed in the political and social scenario of the country because of which the so-called lower-caste people have been fighting for their rights and a share in governance. Due to a revolution in the IT sector, the backward classes have become vocal and they think that by imposing ban on caste-based rallies, the judiciary has favoured the upper caste and if it is not so, why ban has not been imposed on caste-based social and religious organizations. Just because Media is openly supporting the Allahabad High Court judgement , Dalits and Backwards are not openly opposing this judgement keeping in view the general public opinion but they are definitely not happy with this judgement. Leaders of some backward castes have welcomed the Allahabad High Court judgement but it is just a lip sympathy. When the very existence of these backward caste people is based on caste, it would have been much better for them to accept the reality and doing things in their own way while at the same time, not accepting it in the true sense. There are likely to be more opposition because of the imposition of the ban. It is quite likely that there will be protests in every nook and corner across the country against the upper caste people on the ground that when an opportunity has come for Dalits and backwards to ask for their share in governance , judiciary is trying to scuttle. Will this judgement stop the people from casting their votes on caste lines? Who will stop the party workers, leaders and candidates of different parties from election propaganda and publicity in every city and village on caste lines. As a matter of fact, this judgement could give rise to casteism rather than curbing it. The reason for this situation is that people of nearly all the castes have now become caste-centred with the hope of getting a share in governance. Do the parties which have

welcomed this judgement not take the caste equation into consideration while selecting candidates for different seats in Assemblies and Lok Sabha? Now nearly all the political parties have got caste-based data of the electorates right up to the village level. It is very likely that a caste based rally or Sammelan may be held on the pretext of social, religious and brotherhood ground and in that case, how will this judgement help?

Whatever political benefits we may try to get by playing the caste car, but it has its own limitations. Man is a social animal and he cannot live without a social group. The society will always have an upper hand. If the caste factor plays an important role in society, then whatever efforts may be made to play down its role in politics, it will continue to have impact on administration and governance in the country. The country had to undergo slavery for thousands of years which was mainly due to division in caste line. Casteism will cease to have any impact on politics the day it is abolished from the society. The intellectuals of the country have not been able to evaluate the deep-rooted implications of the caste system. Due to this reason, the intellectuals could not become change-makers in our society rather . Maybe it was not done deliberately but sometimes it so happens that man is not able to understand the structure and deep-rooted implications of some of the cruel practices of the society of which he is a part and parcel and perhaps this has been the case with our intellectuals . Unless the shackles of the caste system are not broken, people will go on exploiting it to the hilt to serve their personal ends. From the cradle to the grave, man has been reaping the benefits of the caste system, without making any payment. The caste system fulfills all the requirements of man like birth of a child, marriage, sex, financial transactions, sharing sorrows and happiness and political gains. Can a common man get so many benefits from politics? Of course, sometimes a voter or a supporter gets some benefits and support from a political party but still the benefits are much less as compared to caste institution. This is the main reason that people are clinging to the caste system. When man's needs like marriage are met from outside the caste-fold, the caste system shall start crumbling.

Lord Buddha started the great campaign of demolishing the caste system about 2500 years ago. This campaign had a good effect in the beginning but gradually the caste system again raised its ugly head. In the 19th century, great social reformers like Jyotiba Phule again took up the cudgels to demolish the caste system and later stalwarts like Dr. B.R. Ambedkar and Narayan Guru took upon themselves to further accomplish this great mission. However, the impact of the demolition of the caste system has not been much significant and on the other hand, there has been more awareness in the society about the caste system for social and political gains. This has led to the Allahabad High Court judgement for banning caste-based rallies. Earlier the caste system was in favour of the upper caste people and now gradually Dalits and backwards have started reaping some of the benefits of the caste system. It is for this reason that the modern day-to-day Dalit and Backward leaders always eulogize the efforts of all time great Dalit leaders like Dr. Ambedkar, Jyotiba Phule and Periyar but when it comes to getting political power, they too play the caste card. There may or may not be any achievement on the front of development, law and order and good governance, but Dalit leaders keep on getting political benefits of the caste system on emotional basis. Similarly leaders of the upper caste organize caste rallies for political gains.If the Kshatriyas, Brahmins and Vaishya leaders organize caste rallies for political gains, it will have an adverse impact as their numbers are very small and moreover not many people from these castes cast their votes. Due to this reason, the leaders of the Jat Maha Sabha , Brahmin Maha Sabha and Rajput Maha Sabha strongly opposed the breaking of the caste system but never hesitate to use the caste system to take social and religious advantage . If the upper castes use caste openly for political gains, the chances of their suffering losses are more than the gains.

Brahmin Maha Sabha leader, Shri Mange Ram said that his community was not getting a fair deal and as such, its people are being compelled to go to America to seek jobs. When he was told that 70% of the Government jobs are still being held by Brahmins, he had no answer but still stuck to

Rest on Page-7...

Publisher, Printer and Editor - Dr. UDIT RAJ (FORMERLY KNOWN AS RAM RAJ), on behalf of Justice Publications, T-22, Atul Grove Road, Connaught Place, New Delhi-110001, Tel: 23354841-42, Telefax:23354843, Printed at Sanjay Printing Works, WZ-4A, Basai Road, New Delhi.
Website : www.uditraj.com E-mail: dr.uditraj@gmail.com Computer typesetting by N. K. Karn